Annexure – 3

वित्तीय दिषा निर्देष

A कार्यक्रम का नाम – (Mainstreaming of Ayush) संविदा के आधार पर प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (कुल 1384) में एक आयुष चिकित्सक की नियुक्ति एवं प्रत्येक सदर अस्पताल 38 जिलो में एक आयुष विषेषज्ञ चिकित्स की नियुक्ति।

B बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष – Medical Officers at DH/CHC's /PHC's (only AYUSH)

C बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या– – Part B- 9.1

D कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

आयुष पद्धति के लिए ए0पी0एच0सी0/0पी0एच0सी0 के चयन का आधार –

(क) देषी चिकित्सा के तीनों पद्धतियों आयुर्वेद/यूनानी एवं होमियोपैथिक के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा हेतु राज्य में 1384 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में (50 प्रतिषत आयर्वुेद , 20 प्रतिषत यूनानी एवं 30 प्रतिषत होमियापैथी पद्धति हेतु का प्रावधान है।) आयुष चिकित्सा पद्धति पूर्व से ही लोगों द्वारा अपनाया गया है, एवं यह सर्वज्ञ है कि प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सर्वप्रथम आयुष चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार किया जाता हैं ।इसी के आलोक में आयुष चिकितसा सेवा सरकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा भी उपलब्ध कराने का प्रयास है। यूनानी अति0प्रा0स्वा0के0 / 0पी0एच0सी0 मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, होमियोपैथिक शैक्षिक बहुल क्षेत्र में एवं आयुर्वेद चिकित्सा अन्य क्षेत्र में रखा जाएगा ।

(ख) सभी सदर अस्पताल में एक आयुष विषेषयज्ञ चि0 पदा0 का (19 आयु0 11 हो0 08 यूनानी)की नियुक्ति।

1. नियुक्ति – आयुष चिकित्सकों का चयन राज्य स्तर पर स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा एवं नियुक्ति सिविल सर्जन के स्तर से डी0एच0एस0 द्वारा संबंधित जिला में किया जाएगा ।
3. संभाबित उपलब्धियाँ – चिकित्सक की नियुक्ति से तीन महीना बाद प्रतिदिन 50–100 मरीज ओ0पी0डी0 में आयुष चिकित्सा ले सकेंगे । इसके अतिरिक्त चिकित्सक NRHM के अंतर्गत अन्य कार्यकम मे सहयोग करेंगे। एक साल के लिए आयुष विभाग द्वारा दर्षाये गए चिकित्सा क्षेत्र में मरीज लक्ष्य के अनुरूप सेवा प्राप्त करेंगे।
4. प्रत्येक महीना उपलब्ध चिकित्सा सेवा का चार्ट सिविल सर्जन/जिला देषी चिकित्सा पदा0 के माध्यम से मांग की जायेगी । जिस चिकित्सा सेवा में मरीज कम होगा उसकी बजह जानकर दिषा निर्देष मुख्यालय स्तर से दिया जाएगा । प्रत्येक तीन महीना पर जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी जिसमें मुख्यालय स्तर से कोई पदा0 यथोचित निदेष देंगे। (आधार – भारत सरकार का दिषा निर्देष संलग्न)

E इकाई राषि (रू0 लाख में) – प्रत्येक चिकित्सक 15,000/–(पन्द्रह हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से प्रथम चरण में 4 माह के लिए कुल रू0

(क) 15,000X1384X4=830.40 लाख रू0 मात्र ,

207.60 लाख प्रतिमाह

(ख) 20,000X1384X8=2214.40 लाख रू0 मात्र ,

276.80 लाख प्रतिमाहे

F वित्तीय दिषा निर्देष – 1. जिला स्वास्थ्य समिति के दिषा निर्देष संख्या– 18281 दिनांक – 08.07.2010 के आलोक के माध्यम से संचालित होगा एवं इस गतिविधि के जिला कार्यकम पदाधिकारी(आयुष) संबंधित जिला के " **जिला देषी चिकित्सा पदाधिकारी** " होंगे।

2. राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होगा ।
3. जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदा0 प्रोग्राम एवं राषि खर्च के जिम्मेदार होंगे।
4. ए0पी0एच0सी0 पर कार्यरत चिकित्सक को PHC प्रभारी /आयुष चिकित्सक के द्वारा प्रमाणीत उपस्थिति के आधार पर जिला प्रो0 पदा0 (आयुष) के अनुशंसा पर भुगतान किया जाएगा।

G इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लिखित करें)

(क) 260(दे0चि0) दिनांक 22.03.07

H संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाकार का नाम – डा0 तबरेज अख्तर,राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी (आयुष)

I संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नं0 – 9473191942 Email: ayush@statehealthsocietybihar.org

राज्य प्रोग्राम पदा0 (आयुष)

24/6/11